



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या जी
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय/महोदया,

निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-सी-1526 दिनांक 21/07/2026 द्वारा जारी समय-सारिणी के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश 91/2026/1941/26-3-2026-1741061 दिनांक 20-07-2026 के अनुसार अभी तक 90 प्रतिशत से अधिक सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति की बैवसाइट पर मास्टर डेटा को डिजीटली लॉक नहीं किया गया है।

अतः उक्त के अनुपालन में शिक्षण संस्थानों को मास्टर डेटा को डिजीटली लॉक करने की अन्तिम तिथि 15/07/2026 है।

कृपया इस प्रक्रिया को गंभीरता से लें अन्यथा यदि कोई महाविद्यालय छूट जाता है तो उसके लिए सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

नोडल अधिकारी 05/08/26
(छात्रवृत्ति)

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

- 1 कुलसचिव, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
- 2 जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी
- 3 जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी
- 4 एजेन्सी -2024 को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को सम्बन्धित महाविद्यालयों की लॉगिन आईडी0 पर आज ही अपलोड करने का कष्ट करें।
- 5 गार्ड फाइल

कुलसचिव